न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 287/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2025/463

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.मोहनसिंह पुत्र गंगासिंह 2.हीरसिंह पुत्र गंगासिंह 3.नरपतसिंह पुत्र सुमेरसिंह 4.गजेन्द्रसिंह पुत्र देवीसिंह 5.हेमसिंह पुत्र देवीसिंह 6.छतरसिंह पुत्र सुमेरसिंह 7.धनसिंह पुत्र सुमेरसिंह 8.भूपेन्द्रसिंह पुत्र दुर्गसिंह 9.रविन्द्रसिंह पुत्र दुर्गसिंह 10.राणसिंह पुत्र सोहनसिंह 11.श्रवणसिंह पुत्र फतेहसिंह 12.विजयसिंह पुत्र फतेहसिंह 13.रूगनाथसिंह पुत्र फतेहसिंह जाति राजपूत निवासी थोब तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा		1.श्रीमति गुलाब कंवर पत्नि जालमसिंह जति राजपूत निवासी थोब तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा 2.आम्बसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपुरोहित निवासी राजपुरा,थोब तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा 3.चम्पा कंवर पत्नि नारायणसिंह जाति राजपुरोहित निवासी थोरियो की ढाणी,नागाणा तहसील कल्याणपुर 4.जब्बरसिंह पुत्र वगतसिंह जाति राजपुरोहित निवासी इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बालोतरा 5.देवीकंवर पत्नि हरीसिंह जाति राजपुरोहित निवासी थोरियो की ढाणी,नागाणा तहसील कल्याणपुर 6.देवीसिंह पुत्र सुल्तानसिंह जाति राजपुरोहित निवासी मवड़ी तहसील सिवाना व जिला बालोतरा 7.दिव्याकंवर पत्नि सजनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी थोरियो की ढाणी,नागाणा तहसील कल्याणपुर 8.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री देवीसिंह महेचा अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 से 7

3.विप्रार्थी संख्या 8 अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक– 28.11.2025

1.संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की ओर से मूलवाद वावत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेघाज्ञा जारी करने हेतु पेश किया। जिसके साथ आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशंय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी मोड़सिंह पुत्र जावतसिंह उर्फ जसवंतसिंह, सुमेरसिंह, दलपतसिंह व सोहनसिंह पिसरान नारायणसिंह व विप्रार्थी संख्या 01 के ससुर इन्द्रसिंह पुत्र हणवंतसिंह की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम कानावास तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 05 रकबा 188.05 बीघा भूमि वक्ल सेटलमेन्ट दर्ज हुई थी तथा संवत 2038 से 2041 तक की जमाबंदी मे नाम दर्ज होते आए थे,जिसमे 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारीयो का व 1/2 हिस्सा विप्रार्थी संख्या 01 के ससुर इन्द्रसिंह का था तथा इसीनुसार मौके पर काविज थे,तथा आदिनांक प्रार्थीगण का अपने हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण गांव के निवासी होने व प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारीयो को कानूनी ज्ञान नही होने का नाजायज फायदा उठाकर विप्रार्थी संख्या 01 व उनके ससुर इन्द्रसिंह द्वारा तत्कालीन राजस्व अधिकारीयो से मिलीभगत करते हुए प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारीयो का विना किसी आदेश के आलोच्य नामान्तकरण संख्या 04 के जरिए विवादित भूमि मे से नाम हटाए जाकर विप्रार्थी संख्या 01 के नाम विवादित भूमि दर्ज करवाए गए,जबकि विप्रार्थी संख्या 01 का विवादित भूमि मे से कोई हक हकूक निहित नही है और न ही विवादित भूमि पर कभी काबिज रही है। तत्पश्चात विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा विवादित आराजी की अजनबी क्रेताओ को बेचान भी कर दिया गया। अजनबी क्रेताओ द्वारा विवादित भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकिया दी जानी लगी,तो प्रार्थीगण को विप्रार्थी द्वारा किए गए कृत्य का पता चलने पर वाद श्री न्यायालय मे पेश किया तथा साथ ही हस्तगत आवेदन पेश कर प्रार्थीगण की ओर से विवादित भूमि की राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखनें के लिए स्थगन आदेश जारी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

करने बाबत इस्तदुआ चाही गई। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों एवं प्रकरण की परिस्थिति को मध्यनजर रखतें हुए प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनते हुए विवादित भूमि पर न्यायालय के आदेश दिनांक 22.8.2025 के द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में विप्रार्थी के विरूद्व अन्तरिम अस्थायी निषेघाज्ञा इस आशंय की जारी गई कि विवादित भूमि की राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखें। प्रार्थीगण की ओर से जारी अन्तरिम स्थगन आदेश को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म करने का निवेदन किया गया।

2.प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री अचलाराम थोरी द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 से 07 ओर से मूलवाद में वकालतनामा पेश किया तथा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 08 को जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नही किए जाने पर जवाब बन्द किया गया तथा वक्त बहस विप्रार्थी संख्या 08 अनुपस्थित रहे।

3.हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता की ओर से लिखित बहस पेश की गई,जो शामिल पत्रावली की गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने लिखित बहस के तथ्यों को दोहरातें हुए वक्त बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने विप्रार्थी के विरूद्ध दावा बाबत खातेदारी अधिकारो की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर रखा हैं,जिसमें प्रार्थीगण को सफल होने की पूरी संभावना है। कि ग्राम कानावास में प्रार्थीगण के हक पूर्वाधिकारियो का हिस्सा वक्त सेटलमेंट से संवत् 2038 से 2041 तक की जमाबंदी में नाम दर्ज था तथा नामान्तकरण संख्या 04 दिनांक 18.01.1983 में जो भरा गया वह पूर्ण रूप से गलत एवं निराधर भरकर प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारियों के नाम राजस्व रेकर्ड़ से हटाए गए। विवादित खसरान् पर लगातार कब्जा–काश्त व उपयोग उपभोग प्रार्थीगण का चला आ रहा हैं तथा वादग्रस्त आराजी के बतौर खातेदार है,जिससे मामला प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थीगण का हक हिस्सा हड़प करने की नियत से बिना किसी आदेश के अवैधानिक दस्तावेज से आलोच्य नामान्तकरण भरा गया,ऐसा कोई दस्तावेज बैचान,बक्सीस व वसीयत आदि का विवरण नामान्तकरण में नहीं हैं एवं न ही विप्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया है। तहसील आदेश क्रमांक भू.आनि. 82/3586 दिनांक 21.10.1982 के संलग्न कोई दस्तावेज नहीं हैं। तहसील कार्यालय में उक्त आदेश से संबधित दस्तावेज तहसील कार्यलय में उपलब्ध नहीं हैं,जिससे स्पष्ट हैं कि उक्त आदेश भी राजेन्द्रसिंह द्वारा अपने सरपंच कार्यालय में गलत रूप से करवाया गया हैं तथा नामान्तकरण संख्या 04 दिनांक 18.01.1983 अवैधानिक रूप

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

से भरा गया हैं। जिससे प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड़ से हटाने से प्रार्थीगण अपने पुश्तैनी हक हिस्सा से वंचित होने से अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण को हो रही हैं तथा नामान्तकरण से पूर्व में जमाबंदी की प्रविष्टियां पर विप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं हैं, का जवाब दिया हैं,जो पूर्ण रूप से संस्वीकृति हैं। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के हक पूर्वाधिकारियों की वादग्रस्त आराजी है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे बनता है। वादग्रस्त आराजी के खातेदार मोड़सिंह की मृत्यु तथाकथित नामान्तकरण से तीन वर्ष पूर्व हुई थी,जो ग्राम थोब के नामान्तकरण संख्या 540 दिनांक 16.05.1982 से स्पष्ट था,जो विप्रार्थी संख्या 01 के सगे देवर तत्कालीन सरपंच राजेन्द्रसिंह के द्वारा स्वीकृति किया गया है,जिससे स्पष्ट है,कि नामान्तकरण से पूर्व मोड़सिंह की मृत्यु हो चुकी थी। दस्तावेज नामान्तकरण संख्या 04 मृतक के वारिसान को रेकर्ड पर लिये बिना मृत्त व्यक्ति के खिलाफ नामान्तकरण उसको सुने बिना भरा गया,जो विधि विरूद्ध होने से नामान्तकरण उसको सुने बिना भरा गया है,जो विधि विरूद्ध होने से नामान्तकरण काबिल निरस्त योग्य है,जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे हैं। विवादित आराजी का नामान्तकरण संख्या 04 दिनांक 18.01.1983 को गलत भरा गया था,आदेश क्रमांकः भू.अ./82/3538 दिनांक 21.10.1982 की कोई प्रति तहसील में मौजूद नहीं हैं एवं न ही सहमति बंटवाड़ा का नामान्तकरण में हवाला दिया गया हैं एवं न ही सहमति व न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति पत्रावली में पेश की गई हैं तथा न ही कानावास के खसरा संख्या 05 का विवरण किसी सहमति, बंटवाड़ा में दिया हुआ हैं एवं न हीं कानावास की भूमि के बदले प्रार्थीगण को या उनके हकपूर्वाधिकारियों को भूमि बंटवाड़ा के जरिए दी गई न ही ऐसा कोई विप्रार्थीगण ने दस्तावेज पेश किया तथा विप्रार्थीनी एवं उनके देवर राजेन्द्रसिंह द्वारा प्रार्थीगण की भूमि हड़पने के फर्जी नामान्तकरण भरवाया गया,जिससे प्रार्थीगण के हक हिस्से हड़पने के प्रयास करने से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। विप्रार्थी संख्या 02 ता 07 को विवादित भूमि का बैचान करने से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। प्रार्थीगण अपने पुश्तैनी हक से सदैव के लिए वंचित हो जायेंगे तथा सरहद मौजा थोब के खसरा संख्या 902 का बैचान प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी व इन्द्रसिंह के द्वारा अपने–अपने हिस्से का विधि अनुसार रजिस्ट्रर्ड़ दस्तावेज के जरिए किया गया हैं तथा प्रतिफल राशि बैचानकर्ताओं ने प्राप्त की थी। खसरा संख्या 902 का 1/2 का हिस्सा विप्रार्थीनी के ससुर इन्द्रसिंह स्वंय द्वारा दिनांक 03.07.1973 को क्रमांक 259/73 में इन्द्रसिंह स्वंय द्वारा रजिस्ट्री के प्रतिफल राशि बिन्दु संख्या 04 के अनुसार बांट कर प्राप्त करना स्पष्ट हैं। जिससे साबित हैं कि वादग्रस्त भूमि के बदले खसरा संख्या 902 की भूमि का 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारियों को नहीं दिया गया था। गलत नामान्तकरण के आधार पर विप्रार्थी संखय 01 ने विप्रार्थी संख्या 02 ता 07 के पक्ष में गलत

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

बेचान किया गया है,जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है,तथाकथित नामान्तकरण का पता प्रार्थीगण को होने पर दावा पेश किया हैं। इससे पूर्व विप्रार्थीनी संख्या 01 बावलास गांव तहसील राशमी जिला चित्तोड़गढ में निवास करने से प्रार्थीगण का कब्जा काश्त कायम होने से तथाकथित नामान्तकरण का पता नहीं चलने से दावा अंदर मयाद पेश किया गया हैं तथा खसरा संख्या 902 के जवाब की बहस पद संख्या 06 में विवरण दिया जा चुका हैं तथा विप्रार्थीनी गुलाब कंवर की उम्र 93 वर्ष लिखा हैं,जबकि गुलाबकंवर स्वंय ग्राम पंचायत बावलास तहसील राश्मी जिला चित्तोड़गढ़ की सन् 1995 से 2000 तक सरपंच रही है,जिसमें अपना नाम मिठुकंवर पत्नी जालमसिंह लिखा हुआ हैं तथा अपने इसी आधारकार्ड़ नंमबर 350757665069 पर नाम मिठुकंवर जन्मतिथि 01.01.1939 निवासी बावलास लिखा है, जबकि नाम गुलाबकंवर ने तथाकथित बैचाननामा में निवासी रावली हवेली,थोब लिखा हैं। दस्तावेज मतदाता सूचि सन् 2002 भाग संख्या 53 कमांक 769,मकान संख्या 365 उम्र 61 वर्ष, मतदाता पहचान संख्या RJ/19/122/180534 में मिठुकंवर नाम दर्ज हैं। मिठुकंवर के पेंशन पी.पी ओ. दिनांक 01.10.2015 के आदेश क्रमांक RJ-S-722685 पर दर्ज हैं एवं वोटर आई,डी क्रंमाक RJ/19/122/180534 एवं जन–आधार नंबर 4807786316 तथा क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रूद के खाता संख्या 42220100008207 में दर्ज नाम मिठूकंवर हैं तथा निवास बावलास बताया गया हैं तथा इसी मिठूकंवर ने विवादित भूमि में नाम गुलाबकंवर बताया है तथा स्व.जालमसिंह की मृत्यु 26.06.2020 को हुए हैं। जिसमें अपना नाम मिठुकंवर बताया हैं तथा बावलास में अवस्थित भूमि के नामान्तकरण में पेश शपथ पत्र,वंश सजरा ग्राम पंचायत बावलास में विप्रार्थी संख्या 01 का नाम मिठुकंवर दर्ज हैं तथा अन्य दावा में जालमसिंह की मृत्यु पूर्व में होने के बयान विप्रार्थीनी संख्या 01 के पुत्र रणधीरसिंह द्वारा मय शपथ–पत्र गलत छल–कपटपूर्वक लिखाए गए है। वर्तमान में बावलास के खाता संख्या 182 में विप्रार्थीनी संख्या 01 का नाम मिठूकंवर दर्ज हैं। बावलास के मतदाता सूची में वर्ष 2025 के क्रम संख्या 271 पर विप्रार्थी संख्या 01 का नाम मिठुकंवर दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि यह परिवर्तन अत्यन्त संदिग्ध हैं, कूटरचित तथा एक ही विप्रार्थीनी के दो भिन्न भिन्न नाम, भिन्न–भिन्न जन्म तिथि, भिन्न–भिन्न निवास के पते दर्शा कर पहचान छिपा कर फर्जी तरीके से प्रार्थीगण के हक हिस्सा भूमि हड़प करने के प्रयास किए गए है तथा बैचान दस्तावेज फर्जी तरीके से उसी मिठुकंवर का आधार कार्ड़ नंबर उपयोग में लेकर अवैधानिक रूप से किया गया है,जिससे स्पष्ट हैं कि राजेन्द्रसिंह व विप्रार्थीनी गुलाबकंवर ने मिल कर प्रार्थीगण की भूमि को हड़प करने की नियत से गुलाब कंवर व मिठुकंवर दो नाम अलग अलग जगह बता कर प्रार्थीगण के साथ धोखाधड़ी की हैं। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि विवादित आराजी का बैचान, बंटवाड़ा,सहमति कोई दस्तावेज विप्रार्थीगण ने पेश नहीं किए गए है। विप्रार्थीगण तथाकथित

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

अपठनीय दस्तावेज बही की प्रति पेश की, जो किसी रूप से पत्रावली में पठनीय नहीं हैं तथा तथाकथित बही की प्रति पढनें में नहीं आती हैं तथा उस पर सम्पूर्ण खातेदारान् के हस्ताक्षर नहीं हैं एवं न ही इन्द्रसिंह के हस्ताक्षर हैं। सुमेरसिंह,सोहनसिंह के हस्ताक्षर नहीं हैं। संवत् 2020 के बाद प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी की बतौर खातेदारी संवत् 2041 तक रही। खसरा संख्या 902 का बैचान सभी खातेदारों ने सन् 1973 में सयुंक्त रजिस्ट्रर्ड बैचान किया जा चुका हैं। जिससे तथाकथित वेस्ट पेपर अलावा कोई ओचित्य हस्तगत प्रकरण में नहीं हैं। वक्त सेटलमेंट में प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारियों की भूमि का विवरण राजस्व रेकर्ड़ में दर्ज है, लेकिन कानावास की भूमि का प्रार्थीगण का हक हिस्सा का भी सहमति एवं बंटवाड़ा नहीं किया गया। संवत् 2026 से 2029 से पूर्व सरहद मौजा थोब के खसरा संख्या 304 व 305 का संयुक्त बेचान सन् 1963 में सभी खातेदारान् ने प्रतिफल राशि प्राप्त कर स्वंय की इच्छा से किया था। प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारियों के खिलाफ एवं उनके द्वारा कोई सिलिंग कार्यवाही नहीं की गई थी एवं न ही सहायक कलेक्टर बाड़मेर में उनके विरूद्ध कोई प्रकरण रहा एवं न ही प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारियों द्वारा विप्रार्थीनी संख्या 01 के ससुर इन्द्रसिंह के पक्ष में कोई सहमति,बंटवाड़ा व न्यायालय में प्रकरण चला एवं न ही कोई दस्तावेज जारी किया गया एवं न ही खातेदारियां अलग की गई। इन्द्रसिंह के पास भूमि वक्त सेटलमेंट अधिक होने से सिलिंग एक्ट के तहत नामान्तकरण संख्या 214 खोला गया,जिसमें इन्द्रसिंह की भूमियां सिलिंग के तहत अधिग्रहण की गई थी तथा सरहद मौजा थोब के खसरा संख्या 305 व 304 का बैचान सिलिंग कार्यवाही से पूर्व अपने अपने हिस्से की प्रतिफल प्राप्त कर सन् 1963 में किया गया। खसरा संख्या 275,277 का संयुक्त बैचान प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारियों व इन्द्रसिंह द्वारा प्रतिफल प्राप्त कर अपना–अपना हिस्सा बैचान किया गया था। संयुक्त बेचान करने के बाद प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारियों के पक्ष में थोब के खसरा संख्या 279,112,510,882,1083 रकबा 533.10 बीघा एकल एवं खसरा संख्या 22,1063,561,562,15,16,21 संयुक्त खातेदारी ग्राम थोब में रही,जिससे एकल खातेदारी इन्द्रसिंह के पास रकबा 138 बीघा अधिक रही,जो भी प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा इस खसरान् में राजस्व ग्राम कानावास की विवादित भूमि का विवरण अंकित नहीं हैं,जो भी प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रार्थीगण का हिस्सा खोल कर नामान्तकरण नहीं भरा गया एवं न ही राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया गया एवं न ही खसरा संख्या 305,304,902, 275,277 एकल खातेदारी प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारियों को बंट में दी गई। जबकि इन्द्रसिंह एवं प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारियों द्वारा कोई श्रीमान उप जिलाधीश बालोतरा को लिखित बंटवाड़ा,सहमति आवेदन पेश नहीं किया गया एवं नामान्तकरण संख्या 04 में ऐसा श्रीमान उप जिलाधीश बालोतरा के आदेश का विवरण अंकित नहीं हैं। प्रार्थीगण की एकल

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

खातेदारी भूमि राजस्व गांव थोब में रकबा 533.10 बीघा तथा इन्द्रसिंह की एकल खातेदारी भूमि 670.14 बीघा एवं संयुक्त में 293.04–293.04 की खातेदारी रही। खसरा संख्या 304, 305, 902 का बेचान इन्द्रसिंह स्वंय ने अपने हिस्सा का किया हैं। ऐसा कोई बंटवाड़ा प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारियों ने नहीं किया,जिसमें खसरा संख्या 304,305, 902 275, 277 की एकल खातेदारी प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारियों की रही हो, जिससे स्पष्ट बैचान इन्द्रसिंह द्वारा अपना हिस्सा 1/2 किया गया हैं। नामान्तकरण संख्या 301 में खातेदारान् का नाम के कॉलम में राजस्व त्रुटी से प्रार्थीगण का हिस्सा प्रभावित नहीं होता हैं। विप्रार्थी का यह कथन गलत है कि प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारियों को एकल भूमि 533.10 बीघा,सयुंक्त हिस्सा 1/2 रकबा 293.04 बीघा कुल रकबा 826.14 बीघा खातेदारी मौजा थोब तथा इन्द्रसिंह को 670.14 बीघा एकल एवं सयुंक्त 293.04 कुल रकबा 963.18 बीघा सरहद थोब में खातेदारी रही। कानावास के किसी भी दस्तावेज के जरिए बंटवाड़ा थोब के बदले की भूमि में नहीं किया गया,गलत तथ्य अंकित किए गए है। विप्रार्थीनी संख्या 01 व राजेन्द्रसिंह द्वारा लालच में आकर गलत नामान्तकरण कानावास का करवाया कर प्रार्थीगण की भूमि को हड़पना चाहते हैं। अतं मे निवेदन किया कि प्रथम द्वष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे बनने के कारण प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर श्री न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम स्थगन आदेश को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जावे।

4.विप्रार्थी संख्या 01 से 07 अधिवक्ता की ओर से लिखित बहस पेश की गई थी। विप्रार्थी अधिवक्ता ने लिखित बहस के तथ्यो को दोहराते हुए बहस मे निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने विप्रार्थी के विरूद्ध विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो से विपरित जाकर निराधार एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर वाद–पत्र प्रस्तुत किया है,जो प्रथम दृष्टया खारिज किए जाने योग्य है,अलावा इसके जहां वाद पत्र ही चलने योग्य न हो तो उस पर आधारित विविध प्रार्थना पत्र भी किसी भी रूप से चलने योग्य नहीं है,क्योकि प्रार्थना पत्र में प्रश्नगत भूमि खसरा संख्या 05 मौजा कानावास तहसील पचपदरा से वर्तमान के प्रार्थीगण का न तो कभी सरोकार रहा और न सरोकार हैं। प्रार्थीगण का यह कथन गलत है,कि भूमि खसरा संख्या 05 पर प्रार्थीगण का लगातार, निर्विधन रूप से कब्जा काश्त हो तथा उक्त भूमि का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण द्वारा किया जा रहा हों। विप्रार्थी संख्या 01 का नाम रेकर्ड़ में अमल दरामद होने से पहले जमाबंदी में पहले जो प्रविष्टियां दर्ज थी,उस बाबत् आपत्ति नहीं हैं। प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थीगण का हक हिस्सा हड़प करने की नियत से आदेश क्रमांक भू.अ./82/3586 दिनांक 21.10.1982 को बिना वैधानिक दस्तावेज के म्यूटेशन राजनीतिक पद के प्रभाव वाले परिवार के सदस्य द्वारा पारित करवाया हो। म्यूटेशन संख्या 04 सही व उचित तरीके से विधिक प्रक्रिया के तहत भरकर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार द्वारा पारित किया गया,

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

क्योंकि विप्रार्थी संख्या 01 के हकपूर्वाधिकारी व वर्तमान प्रकरण के प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी संयुक्त खातेदार रहे,इस कारण मौजा थोब व कानावास में संयुक्त खातेदारी की भूमि अवस्थित थी, ऐसी भूमियों का विधिवित् सहमति बंटवाड़ा हुआ। उक्त खसरा विप्रार्थी संख्या 01 के ससुर इन्द्रसिंह के हिस्से में आया,इन्द्रसिंह के द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 के पति जालमसिंह जो इन्द्रसिंह के पुत्र थे,वो उस वक्त बहुत ज्यादा शराब का सेवन करते थें,इस कारण इन्द्रसिंह को आशंका थी कि उक्त भूमि जालमसिंह के नाम दर्ज होने की स्थिति में सम्पूर्ण भूमि का बेचान कर दिया जायेंगा,इस वजह से मुझ विप्रार्थी संख्या 01 के नाम बंटवाड़ा के जरिए मिलने वाली भूमि के तौर पर दर्ज हुई। विवादित आराजी खसरा संख्या 05 मौजा कानावास व थोब में अवस्थित भूमियों का बंटवाड़ा प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारियों व विप्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारियों के मध्य भूमिधारक की सहमति व न्यायालय आदेश से दिनांक 19.11.1971 को हुआ,जिसकी पालना में मौजा थोब में अवस्थित भूमि का म्यूटेशन रेकर्ड में हो गया था, किन्तु भूमि खसरा संख्या 05 मौजा कानावास का नामान्तकरण शेष रह गया,जो नामान्तकरण संख्या 04 दिनांक 18.01.1983 को पारित किया गया। भूमि खसरा संख्या 05 के बदले (एवज) में वर्तमान प्रकरण के प्रार्थीगण के हकपूर्वधिकारी मौजा थोब में जरिए बंटवाड़ा भूमि प्राप्त की जा चुकी थी,इस कारण प्रार्थीगण किसी प्रकार का कोई न तो हिस्सा लेने के अधिकारी हैं और न घोषणा करवाने के अधिकारी है,क्योंकि बाद बंटवाड़ा उक्त भूमि में प्रार्थीगण एवं उनके हकपूर्वाधिकारी का लैस मात्र भी हक हित व अधिकार नहीं था और न हैं। प्रार्थीगण ने सही तथ्यों को छिपाया है,जबकि प्रार्थीगण को भूमि मौजा थोब व कानावास के बंटवाड़ा के तथ्यों की पूर्ण जानकारी शुरू से रही है,क्योंकि हिस्से से अधिक भूमि प्राप्त की। बंटवाड़ा के बाद भूमि खसरा संख्या 05 रकबा 188.05 बीघा मौजा कानावास से वर्तमान प्रकरण के प्रार्थीगण या उनके हकपूर्वाधिकारी का कोई सरोकार नहीं रहा। मौके एवं रेकर्ड़ अनुसार विप्रार्थी संख्या 01 ही उक्त भूमि की स्वामी रही,इस कारण भूमि का उपयोग–उपभोग विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा ही किया जाता रहा,बाद बंटवाड़ा उक्त भूमि कर परिधि में प्रार्थीगण व उनके हकपूर्वाधिकारी ने पैर तक नहीं रखा और न कोई उज्र एतराज किया और न ऐसा करने का उन्हे कोई अधिकार था। क्योंकि बंटवाड़ा हो चुका था, मौके पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं रहा, बल्कि विप्रार्थी संख्या 01 मौके पर बतौर मालिक काबिज रहकर संम्पति का उपयोग उपभोग करती रही तथा वक्त आवश्यकता भूमि को बैंक में ऋण भी रखा और समय–समय पर ऐसी ऋण की अदायगी भी की जाती रही,उक्त तथ्य जवाब के संलग्न दस्तावेज से ही स्पष्ट हैं। मुझ विप्रार्थी संख्या को उक्त भूमि बंटवाड़ा के जरिए हिस्सें में प्राप्त हुई और उसके बदले मौजा थोब में अवस्थित खसरा संख्या 902 रकबा 200 बीघा प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी को प्राप्त हुई,ऐसे तथ्यों की जानकारी प्रार्थीगण को शुरू से ही रही व हैं। प्राथीगण का यह कथन गलत

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

हैं कि ऐसे तथ्यों की जानकारी दिनांक 14.08.2025 को हुई हों। म्यूटेशन संख्या 04 में उल्लेखित आदेश सही व विधिवत रूप से पारित किया गया। इस कारण दिनांक 21.11.1982 से वर्तमान वाद प्रस्तुत करने की अवधि जो 43 वर्षों की हैं,इस दरम्यान कभी चुनौती नहीं दी गयी,यदि अशुद्ध विधि विरूद्ध तरीके से इन्द्राज रेकर्ड में अगल दरामद किया हुआ होता, तो उसका एतराज प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी अवश्य ही करते तथा प्रार्थीगण जिनकी आयु भी 80 वर्ष के लगभग है,वो अवशय करते,जबकि ऐसा नहीं किया गया,क्योंकि भूमि खसरा संख्या 05 मौजा कानावास के एवज में मौजा थोब में अवस्थित भूमि खसरा संख्या 902 रकबा 200 बीघा प्रार्थीगण के द्वारा प्राप्त की जा चुकी थी,जिसे आगे अन्तरित भी किया जा चूका हैं। प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि प्रार्थीगण को पुश्तैनी हक–हिस्से से वंचित रख दिया हों। गलत तौर से वादपत्र न्यायालय में प्रार्थीगण ने लालच में वशीभूत होकर सही तथ्यों को छिपाकर अशुद्ध तथ्यों का समावेश कर वादपत्र, प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थीगण के हकों पर किसी प्रकार का कुठाराघात नहीं हो रहा,जहां तक बेचान का प्रश्न हैं,ऐसे बेचान विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा सप्रतिफल जरिए पंजीकृत दस्तावेज विप्रार्थी संख्या 02 ता 07 को किया हैं जो बाद पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 16.07.2025 को मौके पर बतौर मालिक काबिज हैं। वर्तमान प्रकरण में प्रश्नगत भूमि खसरा संख्या 05 मौजा कानावास से प्रार्थीगण का लैस मात्र भी सरोकार नहीं हैं। छतरसिंह द्वारा गलत तथ्य, गलत एतराज विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा सही तौर से विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा सही तौर से विप्रार्थी संख्या 02 ता 07 को भूमि का बेचान किया तथा म्यूटेशन की कार्यवाही भी सही तौर से खोली गयी,जो स्वीकृत होने योग्य है,जब वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीगण के लैस मात्र भी कोई हक, हित या अधिकार वाद बंटवाड़ा नहीं रहे तो हक संशय में पड़ने, पुस्तैनी भूमि से सदैव सदैव के लिये वंचित हो जाने इत्यादी के कथन रचे गढ़े झूठे बनावटी हैं। प्रार्थीगण ने रचे गढ़े झूठे बनावटी तथ्यों के आधार पर वाद मात्र विप्रार्थीगण को तंग परेशान करने एवं गलत तरीके से राशि हड़प करने की बदनियती पूर्व पेश किया,जो व्यय सहित खारिज होने योग्य है,क्योंकि हिस्से में प्राप्त होने वाली भूमि से अधिक भूमि प्राप्त की जा चुकी हैं। प्रार्थीगण द्वारा यह कथन गलत है कि प्रार्थीगण का उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा हो और ऐसा हिस्सा डलवाने का निवेदन छतरसिंह द्वारा किया गया हों, प्रार्थीगण का यह कथन भी गलत हैं कि दिनांक 14.08.2025 को विप्रार्थीगण द्वारा नाम डलवाने से विप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा मना कर दिया हों। जब प्रश्नगत भूमि से प्रार्थीगण का कोई सरोकार ही नहीं हैं तो न तो प्रार्थीगण द्वारा नाम डलवाने की मांग विप्रार्थीनी संख्या 01 से की जा सकती हैं और न ऐसा कोई अधिकार ही प्रार्थीगण को प्राप्त हैं। अशुद्ध गलत वैग एवं सही तथ्यों को छिपाकर वाद, प्रार्थना पत्र अवश्य पेश किया हैं,जो व्यय सहित खारिज होने योग्य हैं। जब मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा ही नहीं हैं,तो उन्हे बेदखल करने का प्रश्न ही उत्पन्न

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

नहीं होता। प्रार्थीगण का यह कथन भी गलत है कि प्रश्नगत भूमि में बाद बंटवाड़ा प्रार्थीगण या उनके हकपूर्वाधिकारी का 1/2 हिस्सा न तो कभी रहा और न हैं। मुझ विप्रार्थीनी संख्या 01 के द्वारा सही तौर से सप्रतिफल पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से विप्रार्थी संख्या 02 ता 07 को दिनांक 16.07.2025 को बेचान किया। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि रेकर्डड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती,बेचान विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 ता 07 को वर्तमान वाद प्रस्तुतीरकरण से पूर्व ही दिनांक 16.07.2025 को किया जा चुका हैं। पंजीकृत दस्तावेज के सत्य होने की उपधारणा हैं। प्रार्थीगण के कोई लैस मात्र भी हक, हित या अधिकार उक्त भूमि में नहीं हैं, तो उसमें बाधा या दखल करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। प्रार्थीगण के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला या सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति या साम्या का पवित्र सिद्धान्त विधमान नहीं हैं। बल्कि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त हैं रेकर्ड़ड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती सकती, यदि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं तो तुलनात्मक असूविधा एवं अपूरणीय क्षति विप्रार्थीनी को अधिक होगी। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष हैं,ऐसा अनुतोष प्राप्त करने के लिये पक्षकार को स्वच्छ हाथों से प्रकरण एवं उसके तथ्य न्यायालय श्री के समक्ष प्रस्तुत करने होते हैं,जबकि वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीगण ने सही तथ्यों को छिपाकर वर्तमान प्रकरण पेश किया हैं जो व्यय सहित होने योग्य हैं। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीनी संख्या 01 के हकपूर्वाधकारियों की संयुक्त खातेदारी की भुमियों मौजा थोब व कानावास में निम्न प्रकार से अवस्थित हैं।

क्र.सं.	मौजा	खसरा संख्या	रकबा
1	थोब	22	153.06 बीघा
2	थोब	279	30.17 बीघा
3	थोब	303	87.04 बीघा
4	थोब	902	200.00 बीघा
5	थोब	1063	266.07 बीघा
6	थोब	1083	104.09 बीघा
7	थोब	112	73.06 बीघा
8	थोब	348	119.02 बीघा
9	थोब	147	8.00 बीघा
10	थोब	561	28.17 बीघा
11	थोब	562	02.04 बीघा
12	थोब	15	09.18 बीघा
13	थोब	16	27.00 बीघा
14	थोब	21	99.02 बीघा
15	थोब	255	37.10 बीघा
16	थोब	275	132.06 बीघा
17	थोब	277	41.12 बीघा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

18	थोब	419	27.08 बीघा
19	थोब	510	70.05 बीघा
20	थोब	882	194.05 बीघा
21	थोब	891	77.04 बीघा
22	थोब	893	144.04 बीघा
23	थोब	655	60.03 बीघा
24	थोब	304	00.05 बीघा
25	थोब	305	110.04 बीघा

मौजा कानावास में

क्र.सं.	मौजा	खसरा संख्या	श्रकबा
1	कानावास	05	188.05 बीघा

उक्त भूमियों के वक्त सेटलमेंट व सवंत् 2026 से 2029 तक खातेदार इन्द्रसिंह पुत्र हड़मतसिंह का 1/2 हिस्सा, मोड़सिंह पुत्र जसवंतसिंह का 1/4 हिस्सा, सुमेरसिंह, दलपतसिंह, सोनसिंह पिसरान् नारायणसिंह का 1/4 हिस्सा था। तदोपरांत उक्त भूमियों के संबंध में सिलिंग एक्ट का प्रकरण सहायक कलेक्टर बाड़मेर के समक्ष दायर हुआ,तब सहमति से व न्यायालय भूमिधारक के माध्यम से बंटवाड़े की प्रक्रिया हुई और माफिक बंटवाड़ा निम्न प्रकार से भूमियां एकल खातेदारी में व संयुक्त खातेदारी में रखी जाकर किया गया। विप्रार्थीनी संख्या 01 के हकपूर्वाधिकारी इन्द्रसिंह व उनके पुत्रान जालमसिंह,महावीरसिंह, राजेन्द्रसिंह, रामसिंह के हिस्से में माफिक बंटवाड़ा रखी गयी भूमियों का विवरण :–

क्र.सं.	मौजा	खसरा संख्या	रकबा
1	थोब	303	97.04 बीघा
2	थोब	348	118.02 बीघा
3	थोब	147	08.00 बीघा
4	थोब	255	37.12 बीघा
5	थोब	299	191.00 बीघा
6	थोब	419	27.08 बीघा
7	थोब	891	77.04 बीघा
8	थोब	893	114.04 बीघा
कुल रकबा			670 बीघा 14 विस्वा

क्र.सं.	मौजा	खसरा संख्या	रकबा
	कानावास	05	188.06 बीघा
कुल रकबा			859 बीघा

मोड़सिंह, सुमेरसिंह, दलपतसिंह, सोहनसिंह के हिस्से में रखी गई भूमि का विवरणः–

क्र.सं.	मौजा	खसरा संख्या	रकबा
1	थोब	279	30.17 बीघा
2	थोब	305	110.04 बीघा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

3	थोब	902	200.00 बीघा
4	थोब	112	73.06 बीघा
5	थोब	275	132.06 बीघा
6	थोब	277	41.12 बीघा
7	थोब	510	70.05 बीघा
8	थोब	882	194.05 बीघा
9	थोब	304	00.05 बीघा
10	थोब	655	60.03 बीघा
11	थोब	1083	104.09 बीघा
कुल रकबा			1017 बीघा 12 विस्वा

संयुक्त हिस्से में रखी गयी भूमि :–इन्द्रसिंह व उनके पुत्रान् जालमसिंह, महावीरसिंह, राजेन्द्रसिंह, रामसिंह 1/2 हिस्सा एवं मोड़सिंह 1/4 हिस्सा, सुमेरसिंह, दलपतसिंह, सोहनसिंह 1/4 हिस्सा के हिस्से में रखी गई भूमि का विवरण :–

क्र.सं.	खसरा	रकबा
1	22	153.06 बीघा
2	1063	266.07 बीघा
3	561	28.17 बीघा
4	562	02.04 बीघा
5	15	09.13 बीघा
6	16	27.00 बीघा
7	21	99.00 बीघा
586 बीघा 07 विस्वा		

इस प्रकार बंटवाड़ा की कार्यवाही सम्पादित हुई,जिसका एक्ट ओपन राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण दर्ज हुए, यहां यह निवेदन करना उचित है कि मौजा थोब की भूमियों का रेकर्ड़ में उसी वक्त अमल दरामद हो गया,किन्तु मौजा कानावास जिसे वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत किया गया गया है,कि भूमि का नामान्तकरण नहीं हुआ, ऐसे तथ्यों की जानकारी तत्समय में राजस्व अभिलेख को विप्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी इन्द्रसिंह द्वारा देखने से हुई, तब विप्रार्थीनी के हकपूर्वाधिकारी इन्द्रसिंह ने श्रीमान उप जिलाधीश बालोतरा को

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

लिखित आवेदन प्रस्तुत किया,जिस पर तहसीलदार पचपदरा के द्वारा रेकर्ड में नामान्तकरण संख्या 04 के जरिए कार्यवाही सम्पादित की। उक्त प्रविष्टियों के सत्य होने की उपधारणा हैं। क्योंकि उक्त प्रविष्टियां 30 वर्ष से अधिक समय पहले की हैं,जिसके साक्ष्य अधिनियम में उपधारणा हैं। यहां यह निवेदन करना उचित है कि मौजा थोब में प्रार्थीगण को 1017.12 बीघा भूमि एकल खातेदारी में दी गयी तथा 293.04 बीघा भूमि संयुक्त खातेदारी के रूप में हिस्से में दी गयी, इस प्रकार कुल 1310.16 बीघा भूमि प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी के हिस्से में रखी गयी,ताबाद प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी द्वारा जरिए पंजीकृत दस्तावेज भूमि खसरा संख्या 304, 305 रकबा 110.09 बीघा का बेचान उस्मान खां वगैरा को किया गया,जिसका अंकन जमाबंदी मं किया,ताबाद खसरा संख्या 902 रकबा 200 बीघा भूमि का बेचान प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी द्वारा बाद बंटवाड़ा पंजीकृत दस्तावेज के जरीए रतनाराम वगैरा को किया जिसका नामान्तकरण संख्या 301 उनके नाम पारित हुआ। इस प्रकार इन्द्रसिंह व मोड़सिंह वगैरा के परिवार के पास कुल 2462 बीघा भूमि खातेदारी की थी,जिसमें 1/2 हिस्सा इन्द्रसिंह के परिवार का था तथा 1/2 हिस्सा मोड़सिंह वगैरा का था,जिसके अनुसार इन्द्रसिंह के परिवार के पास वादग्रस्त भूमि सहित 1231 बीघा भूमि खातेदारी में प्राप्त होनी थी,उसके स्थान पर इन्द्रसिंह को मात्र 1152.09 बीघा ही प्राप्त हुई तथा प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी मोड़सिंह वगैरा को जहां 1231 बीघा भूमि प्राप्त होनी थी,उसके स्थान पर 1310.16 बीघा भूमि हिस्से में मिली और उसमें से बेचान भी की गयी, अब भूमियों की कीमतें बढ़ने तथा नियत में फर्क आने की वजह से वर्तमान वाद लालच में आकर पेश किया गया हैं। अंत मे निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन मनगढन्त तथ्यो के आधार पर पेश किए जाने के कारण मय खर्चो खारिज किया जावे।

5.हमनें दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी और बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात,बही व लिखित बहस का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमे पाया कि ग्राम कानावास तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 05 क्षेत्रफल 30.4809 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थीगण के पक्ष में विप्रार्थीगण के विरूद्व अन्तरिम स्थगन आदेश जारी हो रखा है। न्यायालय हाजा को यह तय करना है कि क्या अन्तरिम स्थगन आदेश मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म योग्य है अथवा निरस्त योग्य है। जिसमें तीन बिन्दु प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं के आधार पर तय होगा।

6.(1)सर्वप्रथम प्रथम द्रष्यता मामला किसके पक्ष में बनता है,के संबध में विवेचन किया जा रहा है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्य उजर उठाया था,कि विवादित भूमि खसरा संख्या 05 रकबा 188.05 बीघा भूमि प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी मोड़सिंह पुत्र जावतसिंह उर्फ

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

जसवंत सिंह,सुमेरसिंह, दलपतसिंह, सोहनसिंह पिसरान् नारायणसिंह व इन्द्रसिंह वल्द हणवंत सिंह के नाम वक्त सेटलमेंट दर्ज हुई थी तथा सवंत् 2038 से 2041 तक की जमाबंदी में नाम दर्ज था। उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारीयों का व 1/2 हिस्सा विप्रार्थी संख्या 01 के ससुर इन्द्रसिंह का था,इसी हिस्सेनुसार काबिज थे। प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारीयों के बाद विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का अपने हिस्सेनुसार कब्जा–काश्त चला आ रहा हैं। विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा विवादित भूमि में प्रार्थीगण का हक हिस्सा हड़प करने की नियत से तत्कालीन राजस्व अधिकारीयों से मिलीभगत करते हुए आलोच्य नामान्तकरण संख्या 04 के जरिए बिना वैधानिक अधिकार के प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारीयो का प्रश्नगत भूमि खसरा संख्या 05 में नाम विलोपित करवाते हुए विवादित भूमि आवगी विप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी में दर्ज करवा दी गई,जबकि ऐसा दस्तावेज बेचान,बक्सीस व वसीयत इत्यादि का विवरण नामान्तकरण में नहीं हैं। इस प्रकार अवैध नामान्तकरण संख्या 04 के जरिए प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारीयों की खातेदारी समाप्त कर दी गई,जो कि आलोच्य नामान्तकरण संख्या 04 की कार्यवाही अपने आप में फर्जी हैं। इसके अतिरिक्त आलोच्य नामान्तकरण संख्या 04 भरने से पूर्व मोड़सिंह की मृत्यु हो चुकी थी,उसके वारिसान् को बिना रेकर्ड़ पर लिए आलोच्य नामान्तकरण की कार्यवाही प्रारम्भ से ही शून्य व अप्रभावी हैं। इसके साथ प्रश्नगत भूमि के बदले प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारीयों को कोई भूमि नहीं दी गई हैं। विप्रार्थी का यह कथन् गलत है कि प्रश्नगत भूमि के बदले खसरा संख्या 902 में प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारीयों को 1/2 हिस्सा दिया गया था,जबकि उक्त भूमि का प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी व विप्रार्थी संख्या 01 के ससुर इन्द्रसिंह ने अपने–अपने हिस्सेनुसार बेचान कर सप्रतिफल राशि प्राप्त की गई थी। विप्रार्थी संख्या 01 का विवादित भूमि पर कभी कब्जा–काश्त नहीं रहा हैं। विप्रार्थी संख्या 01 बावलास गांव तहसील राशमी जिला चितौड़गढ़ में निवास करती हैं। वहां पर विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा आधार कार्ड़,वोटर कार्ड़,जन आधार कार्ड़, पेंशन पी.पी.ओ. इत्यादि मिठूकंवर नाम के बने हुए है। जबकि विवादित भूमि मे नाम गुलाबकंवर इन्द्राज करवाया गया हैं,इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विप्रार्थीगण द्वारा फर्जी तरीके से जालबाजी के तहत् कुटरचित दस्तावेज तैयार कर विवादित भूमि को हड़प किया गया हैं और कुटरचित दस्तावेज के आधार पर विवादित भूमि का अवैध बेचान् विप्रार्थी संख्या 02 ता 07 को कर दिया गया है,जिनका नामान्तकरण प्रक्रियाधीन हैं। यदि स्थगन आदेश को हटाया जाता हैं,वो प्रार्थीगण को भारी क्षति होगी और विवाद ज्यादा बढ़ेगा। अतःस्थगन आदेश को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म करने का अनुतोष चाहा गया।

इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्य उजर उठाया था,कि प्रार्थीगण की ओर से मनगढन्त तथ्यों के आधार पर वाद–पत्र पेश किया गया है,साथ ही हस्तगत

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

आवेदन पत्र प्रस्तुत कर एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित करवा दिया गया,जो कि विप्रार्थी के हितो के साथ भारी कुठाराघात हुआ है,क्योंकि प्रार्थीगण का विवादित आराजी में कोई हक हकूक निहित नहीं है। क्योकि ग्राम थोब व कानावास में अवस्थित भूमिया खसरा संख्या 22, 219,303, 902, 1063, 183, 112, 348, 147, 561, 562, 15, 16, 21, 255, 275, 277,419, 510, 882, 891, 893, 655, 304, 305 व 05 का बंटवाड़ा आपकी सहमति से हुआ था। सहमति बंटवाड़ा होने पर ग्राम थोब की भूमियों का रेकर्ड़ मे अमल–दरामद हो गया था तथा मौजा कानावास की प्रश्नगत भूमि खसरा संख्या 05 का नामान्तकरण संख्या 01 स्वीकृत भी हो गया था,लेकिन जमाबंदी में अमल दरामद नहीं हो पाया,इस संबंध में विप्रार्थी संख्या 01 के हकपूर्वाधिकारी ससुर द्वारा श्रीमान् उपखण्ड़ अधिकारी महोदय को आवेदन भी पेश किया था, जिसकी पालना तहसीलदार के मार्फत की गई। इसी प्रकार प्रश्नगत भूमि में प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारीयों के हक हिस्सा का प्रश्न हैं,जो खसरा संख्या 902 में हिस्सा दिया गया था, जो प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारीयों द्वारा तत्पश्चात् भूमि बेचान कर प्रतिफल राशि प्राप्त की गई। विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जो विवादित आराजी की रिकार्डेड़ खातेदार हैं,ने अपनी घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए विवादित भूमि का बेचान् विप्रार्थी संख्या 02 ता 07 को किया गया हैं और रिकार्डेड़ खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित होने से अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण को नहीं होकर विप्रार्थी को हो रही हैं। अतः प्रार्थीगण का आवेदन मनगढन्त तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज करने का अनुतोष चाहा गया। प्रार्थीगण व विप्रार्थी पक्ष के वाद–पत्र व आवेदन–पत्र में उल्लेखित तथ्यों एवं अपनी–अपनी बहस में उठाए गए मुख्य उजर–एतराज पर गम्भीतापूर्वक गौर किए जाने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा अपने वाद–पत्र में मुख्य उजर एतराज प्रश्नगत भूमि खसरा संख्या 05 के संबंध में पारित नामान्तकरण संख्या 04 की वैधानिक पर प्रश्नचिन्ह उठाया हैं,जो कि हस्तगत प्रकरण में उक्त बिन्दु का निस्तारण नहीं किया जा सकता है,क्योंकि उक्त बिन्दु का निस्तारण मूलवाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर ही तय होगा कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में पारित आलोच्य नामान्तकरण संख्या 04 विधि सम्मत् भरा गया था अथवा नहीं। इसी प्रकार विप्रार्थी पक्ष द्वारा भी विवादित भूमि के संबध मे पारित नामान्तकरण संख्या 01 के राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) मे अमल दरामद नही होने के कारण उक्त नामान्तकरण की पालना मे नामान्तकरण संख्या 05 भरा जाना विधि सम्मत बताया गया। इस प्रकार विवादित भूमि के संबध मे पारित नामान्तकरण संख्या 01 व 04 के निर्धारण का बिन्दु हस्तगत आवेदन पत्र के जरिए तय नही किया जा सकता है,उसके लिए मूलवाद मे साक्ष्य सबूतो के आधार पर ही तय होगा कि आलोच्य नामान्तकरण संख्या 1 व 4 मे से किसी नामान्तकरण मे हुए कार्यवाही विधि सम्मत थी। हस्तगत प्रकरण में न्यायालय हाजा को यह तय करना है कि विवादित आराजी पर जारी हो रखा अन्तरिम स्थगन आदेश मूलवाद के

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय तक यथावत रखा जा सकता है अथवा नहीं। इस बिन्दु बाबत् न्यायालय हाजा का मत है, कि वर्तमान रिकॉर्ड़ अनुसार विवादित भूमि विप्रार्थी की खातेदारी में चली आ रही हैं,जो कि रिकार्डेड़ खातेदार को स्थगन आदेश से पाबंद नहीं किया जा सकता हैं,क्योंकि ऐसा किए जाने से उनके हक हकूको पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा हैं। इसके विपरीत प्रार्थीगण भूमि के खातेदार नहीं हैं,तो खातेदार के नहीं होने के कारण उन्हे क्षति होना का प्रश्न पैदा नहीं होता हैं। बल्कि विप्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार हैं। स्थगन आदेश पारित होने के कारण क्षति होने हो रही हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है,क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा जिस आलोच्य नामान्तकरण संख्या 04 की वैधता को प्रश्नचिन्ह किया गया हैं, उसे पारित हुए लगभग 42 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका हैं,यदि उक्त नामान्तकरण पर आपति होती,तो प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारीयों द्वारा तत्समय उजर–एतराज क्यों नहीं उठाया गया, इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और प्रार्थीगण स्वंय द्वारा भी इतने लम्बे समय तक प्रश्नगत भूमि के संबंध में क्यों नहीं चाराजोही की गई,इस बाबत् भी प्रार्थीगण द्वारा कोई सन्तोषप्रद व औचित्यपूर्ण कारण नहीं बता पाए हैं। विवादित भूमि का बेचान होने के उपरांत वाद लाया गया हैं। जो कि प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया प्रकरण अपने पक्ष में साबित करने में सफल नहीं रहे हैं,जबकि विप्रार्थी संख्या 01 के नाम विगत 42 वर्षो से खातेदारी चली आ रही हैं और खातेदार अपनी खातेदारी भूमि का उपयोग–उपभोग करने के लिए स्वतंत्र होता है। स्थगन आदेश की आड़ में रिकार्डेड़ खातेदार को पांबद किया जाना विधि–सम्मत् प्रतीत नहीं होता हैं,क्योंकि मूल हक हकूको का निर्धारण मूलवाद में तय होगा,न कि हस्तगत प्रकरण के द्वारा। ऐसी सूरत मे प्रार्थीगण राहत प्राप्ति के हकदार नहीं हैं,क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा जो उजर–एतराज उठाए गए हैं,उनका निर्धारण मूलवाद प्रकरण में अपनी–अपनी साक्ष्य गवाहान व दस्तावेजात् प्रदर्शित के आधार पर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्धारण किया जावेगा। हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश बाबत् बिन्दु का निर्धारण किया जाना होता हैं,जो कि प्रार्थीगण साबित करने में पूर्णतया असफल रहे हैं। आर.आर.टी. 1969 पृष्ठ 373 एवं आर.आर.टी. 1978 पृष्ठ 638 में भी प्रतिपादित हैः–कि सहकृषक के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं हो सकती हैं खातेदारान को स्थगन आदेश से पांबद किए जाने के कारण उनके हितो के साथ कुठराधात होगा। इस प्रकार विप्रार्थी पक्ष को स्थगन आदेश से पाबंद किए जाने के कारण उनके हितो के साथ कुठराधात हुआ है। जैसा कि 1973 आर.आर.डी. 1973 पृष्ठ 526 भंवरसिंह बनाम मत्थूसिंह मे प्रतिपादित हैः–कि यदि वादी भू अभिलेख इन्द्राज से अपने को खातेदार साबित नही कर सकता तथा प्रतिवादी भू अभिलेख से खातेदारी प्रमाणित होता हो तो वादी को अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना चाहिए। उक्त न्याय द्वष्टांत हस्तगत प्रकरण की प्रकृति पर पूर्णतया चस्पा है,क्योकि प्रार्थीगण विवादित भूमि खसरा संख्या 05 के

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

खातेदार नही है और न ही प्रार्थीगण द्वारा प्रथम द्वयष्ता प्रकरण अपने पक्ष मे साबित कर पाए है। इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी विगत 40 वर्ष से भी अधिक समय से चली आ रही है और रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व स्थगन आदेश पारित नही किया जा सकता है। इसी प्रकार **आर.आर.डी. 1978 पृष्ठ 377 सुमीखां बनाम मोहनसिंह** मे प्रतिपादित हैः—कि धारा 212 अधिकार अथवा स्वामित्व का निर्णय नही करना चाहिए,यदि धारा 212 के आधार तत्व न हो तो अस्थाई निषेधाज्ञा अनुचित है। इसी प्रकार **आर.आर.डी 1990 पृष्ठ 570 फूल्या बनाम ख्याली** मे प्रतिपादित है कि न्यायालय को राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर प्रथम द्वष्यता वाद,सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू को देखते हुए या तो अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार की जानी चाहिए या प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता चाहिए,यथावत स्थिति का आदेश कोई अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश नही होता है। उक्त न्यायिक द्वष्टांत भी प्रकरण की प्रकृति पर चस्पा होता है,क्योकि प्रथम द्वष्यता मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे नही बनता है,क्योकि प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है,जिससे साबित हो कि प्रथम द्वष्यता मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता हो। ऐसी सूरत में प्रथम द्वष्यता मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नही होकर विप्रार्थी के पक्ष में बनता है।

6(ii).इसी प्रकार सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है,क्योंकि विप्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है और रिकार्डेड खातेदार को स्थगन आदेश से पाबंद नहीं किया जा सकता है। खातेदार अपने हक हकूक हिस्सा का उपयोग—उपभोग करने के लिए स्वंतत्र है। न्यायालय हाजा खातेदार को उसके हक हकूको से महरूम नहीं रख सकता है। ऐसी सूरत में सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर विप्रार्थी के पक्ष में बनता है,क्योंकि धारा 212 R.T.ACT प्रकरण में यह देखना है,कि मामला स्थगन आदेश का बनता है अथवा नहीं,जो कि हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश जारी किए जाने का मामला बनता नहीं हैं। इस संबध में आर.आर.टी.1978 पृष्ठ 377 सुकी खां बनाम मोहनसिंह वगैरा में प्रतिपादित हैः—कि धारा 212 अधिकार अथवा स्वामित्व का निर्णय नहीं करना चाहिए,यदि धारा 212 के आधार तत्व न हो तो अस्थाई निषेधाज्ञा अनुचित है,जो कि हस्तगत प्रकरण पर चस्पा है,क्योंकि प्रकरण मे स्थगन आदेश जारी किए जाने का ऐसा कोई ठोस आधार बनता हीं नही है। ऐसी सूरत मे सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है।

6(iii).जहां तक अपूरणीय क्षति होना का बिन्दु है,वह भी बिन्दु विप्रार्थी के पक्ष में बनता है,क्योंकि प्रथम द्वष्यता मामला एवं सुविधा का संतुलन विप्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। ऐसी सूरत में स्थगन आदेश जारी किए जाने पर अपूरणीय क्षति भी विप्रार्थी पक्ष को होगी। इस प्रकार विप्रार्थी जो विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है और उन्हे

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

स्थगन आदेश से पाबंद नहीं किया जा सकता है,क्योंकि प्राकृतिक न्याय के सिद्वातों के विपरीत है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण स्थगन आदेश को यथावत रखवाने के हकदार नहीं है।

7.उपरोक्त विवेचन से भली भांति साबित है,कि न्याय के तीनों बिन्दु प्रथम द्वष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर विप्रार्थी के पक्ष में बनते है। इस प्रकार प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज योग्य है।

:आदेशः

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण अस्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 22.8.2025 को अपास्त किया जाकर,प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार) 28.11.2025
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

आदेश आज दिनांक 28.11.2025 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

28/11/2025
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा